UPSI010080622023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट(ओ0ए0डब्लू) सीतापुर

सत्र परीक्षण सॅख्या–1780/2023

राज्य बनाम राजेश

मुकदमा अपराध सॅख्या–39/2022

अन्तर्गत धारा–376, 506 भारतीय दण्ड संहिता

थाना–रामपुर कला, सीतापुर

आदेश

04.10.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त राजेश के विरूद्ध धारा–376, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत विवेचक द्वारा आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है और केस–डायरी में संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा–376, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य है।

अभियुक्त राजेश के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त पर उक्त धाराओं में आरोप नहीं बनता है।

मैंने राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को आरोप के बिन्दु पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक्रूपेण परिशीलन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर तथा बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता सहित केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त राजेश के विरूद्ध धारा–376, 506 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप विरचित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

अतः अभियुक्त राजेश के विरूद्ध धारा–376, 506 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप विरचित किया जाता है। उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर खुले न्यायालय में सुनाये और समझाये गये। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध विरचित किये गये आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मॉग की।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा साक्षियों को आहूत करने के लिए आदेशिका जारी करने का निवेदन किया गया। अतः अभियोजन साक्षियों को सम्मन जारी हो।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनॉक–04.11.2023 को पेश हो।

(नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी)
(JO CODE : UP02696)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट(ओ0ए0डब्लू)
सीतापुर

दिनॉक–04.10..2023

उदित/–

Digitally signed by Narendra Nath Tripathi
Date: 2023.10.04 12:06:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions sITAPUR